न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/216 दायरा दिनांक : 20.01.2025

उनवान

कन्हैया लाल पुत्र भैरू लाल, जाति माली, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.) मृतक कायम मुकामान :–

1/1. रामी बाई पत्नी कन्हैयालाल
1/2. इन्द्रा पुष्पक पत्नी बृजमोहन पुष्पक
1/3. सत्यनारायण पुष्पक पुत्र कन्हैयालाल
1/4. चमेलीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी सूरजमल मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
1/4/1. ज्योति पुत्री चमेली, निवासी ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
1/5. उपमा बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी चतुर्भुज
1/6. पिंकी रानी पुष्पक पुत्री बृजमोहन पुष्पक
1/7. गुणमाला पुत्री बृजमोहन पुष्पक
1/8. कविता पुत्री बृजमोहन पुष्पक
1/9. रोहित पुष्पक पुत्र कन्हैयालाल

जाति माली, निवासीगण ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम उर्फ केशवदेव पुत्र बृजमोहन, जाति अहीर, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
2. त्रिलोक चन्द पुत्र बृजमोहन, जाति अहीर, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
3. पुष्पा बाई बेवा बृजमोहन, जाति अहीर, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
4. किशना पुत्र गजानन्द, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.) (फौत) कायम मुकामान :–
   4/1. नन्द किशोर पुत्र किशना, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
   4/2. हुकमा बाई पुत्री किशना, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
   4/3. रामस्वरूप मृतक पुत्र किशना, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.) मृतक कायम मुकामान
   4/4. आयुष पुत्र रामस्वरूप, आयु 12 वर्ष जरिये वली माता स्वयं श्रीमती चन्दा बाई पत्नी रामस्वरूप, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
   4/5. पीयूष पुत्र रामस्वरूप, आयु 10 वर्ष जरिये वली माता स्वयं श्रीमती चन्दा बाई पत्नी रामस्वरूप, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
   4/6. चन्दा बाई बेवा रामस्वरूप, आयु 40 वर्ष, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खानपुर, जिला झालावाड (राज.)

5. घनश्याम पुत्र गजानन्द, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड(राज.)
6. मोतीलाल पुत्र गजानन्द, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खानपुर, जिला झालावाड (राज.) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री राकेश यादव अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

निर्णय **दिनांक : 07.07.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 202/प्रार्थना पत्र/2012 निर्णय दिनांक 26.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर सम्वत 2066–2069 के खसरा नं. 1075, 1076, 1075/1264 की आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का रास्ते के बाबत विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें रास्ते की चौडाई में विस्तार प्रार्थीगण चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.2016 से पक्षकारान में रास्ते के विवाद के संबंध में राजीनामा हो चुका है तथा अब कोई विवाद पक्षकारान के मध्य शेष नहीं है। अतः इस अपील का निस्तारण उक्त अनुसार किया गया। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.05.2017 से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर के समक्ष पेश की जा सकती है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय में यह अपील गलत रूप से पेश की गई थी। साथ ही प्रथम अपील जो कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय से अप्रसन्न होकर पेश की गई है, की द्वितीय अपील इस न्यायालय में मेंटेनेबल नहीं होने से अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलांट को लौटायी गयी। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी टी. ए./संख्या 3764/2017/जिला झालावाड के निर्णय दिनांक 10.12.2024 से प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार कर इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया गया कि वे प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, खानपुर की पत्रावली संख्या 202/प्रार्थना पत्र/2012 को तलब कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष दिनांक 14.01.2025 को उपस्थित होवे। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली रेकॉर्डसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में खसरा नं. 1074 एवं 1079 के बीच की मेड पर दोनों ओर 6–6 फीट का रास्ता देने का आदेश अपने अधिकारों से परे जाकर पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। दिनांक 02.05.2016 एवं दिनांक 26.05.2016 की आर्डर शीट पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही अपीलांट को लोक अदालत का नोटिस ही प्राप्त हुआ हो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स 1 ता 3 को खसरा नं. 1074 व 1079 के बीच की मेड पर दोनों ओर 6–6 फुट का रास्ता देने का आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। दिनांक 26.05.2016 को प्रस्तुत किये गये राजीनामे पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है और न ही अपीलांट को उक्त राजीनामे की जानकारी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जेर अपील निर्णय अपने अधिकारों से परे जाकर पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। खसरा नं. 1079 में पूर्व एवं वर्तमान में कोई रास्ता आने जाने हेतु स्थापित नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 1074 एवं 1079 के बीच की मेड पर दोनों ओर 6–6 फीट का रास्ता देने का आदेश गलत तौर पर पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। खसरा नं. 1074 में से होकर रेस्पोडेन्ट्स 1 ता 3 उनके खेत खसरा नं. 1075, 1076, 1075/1264 पूर्व एवं वर्तमान में होकर जाते हैं उनका खसरा नं. 1079 से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से कोई संबंध नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त जेर अपील निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। खसरा नं. 1079 में ऊपर की ओर पत्थरों की पुरानी बाउन्ड्री हो रही है तथा उक्त बाउन्ड्री के अन्दर खजूर, लिपटीस, नीम, लिपटीस के पेड पौधे लगे हुए हैं जो लगभग 70–80 वर्ष पुराने हैं उक्त पुरानी बाउन्ड्री की जगह पर अधीनस्थ न्यायालय ने 6–6 फुट का रास्ता देकर उक्त जेर अपील निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलाटं स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.05.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी मोतीलाल व घनश्याम ने राजीनामा पेश किया था जिसमें अन्य अप्रार्थीगण के राजीनामे पर हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कैम्प का नोटिस जारी नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 4 को नहीं सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा अवैध है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. 2022 पेज 562 व आर.बी.जे. 2023 पेज 158 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि मौका रिपोर्ट सन् 2008 की है। खेत की मेड पर रास्ता दिया गया है। खसरा नं. 1074 की 4 फीट जमीन पर कब्जा कर रखा है। उक्त आराजी पर हुए कब्जे को खाली कर दे तो रास्ता दिया जा सकता है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेंट 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने खाते की आराजी वाके ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर के खसरा नं. 1075, 1076, 1075/1264 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण 1 ता 4 के खाते की आराजी खसरा नं. 1074 और 1079 की बीच की मेड पर रास्ते हेतु अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.05.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोलाना में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने निर्णय में अंकित किया है कि पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है कि "उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में हम पक्षकार इस बात पर राजी है कि घनश्याम उर्फ केशवदेव के खेत खसरा नं. 1075, 1076 व 1075/1264 को जाने का रास्ता खसरा नं. 1074 व 1079 के बीच की मेड पर दोनों ओर 6–6 फिट का रास्ता देने को सहमत हैं। इसी अनुसार राजीनामा पेश है।" पक्षकारान में रास्ते के विवाद के संबंध में राजीनामा हो चुका है तथा अब कोई विवाद पक्षकारान के मध्य शेष नहीं है। अतः इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण उक्त अनुसार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोलाना में प्रार्थी/रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर निस्तारण करते समय इस तथ्य पर ध्यान अंकित नहीं किया कि प्रस्तुत राजीनामे पर खसरा नं. 1079 के खातेदार अपीलांट/अप्रार्थी कम 4 कन्हैया लाल पुत्र भैरूलाल के सहमति हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर निर्णय तभी पारित किया जा सकता है जब सभी पक्षकार राजीनामे की शर्तों से सहमत हो। लेकिन अगर एक भी पक्षकार राजीनामे की शर्तों से सहमत नहीं है तो डिक्री पारित नहीं की जा सकती। इस सन्दर्भ में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (29) 2022 पेज 562 एवं आर.बी.जे. (30) 2023 पेज 158 विचाराधीन अपील पर चस्पा होते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट गोलाना में दिनांक 26.05.2016 को प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध भी अनुतोष चाहा है परन्तु अप्रार्थी सं. 4 ने अपनी ओर से कोई राजीनामा पेश नहीं किया, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधि सम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधि प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.08.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★